प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा छत्तीसगढ़ शासन को प्रस्तुत करने हेतु, शासन द्वारा दिनांक 24 अक्टुबर 2011 को जारी अधिसूचना की शर्त अनुसार, जिसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को नगरीय स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं पर तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण सौंपा गया था, के अनुसार बनाया गया है।

यह प्रतिवेदन दो भागों में तैयार किया गया है, भाग - एक में नगरीय स्थानीय निकायों का अवलोकन और भाग - दो में पंचायती राज संस्थाओं का अवलोकन किया गया है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय - एक और तीन में नगरीय स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं का विहंगावलोकन शामिल किया गया है।

अध्याय - दो में नगरीय स्थानीय निकायों के सात लेन-देन लेखापरीक्षा कंडिका शामिल है। अध्याय - चार पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का निष्पादन लेखापरीक्षा से संबंधित है। अध्याय - पाँच में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित तीन लेन देन लेखापरीक्षा कंडिका शामिल है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण वे हैं जो कि वर्ष 2012-13 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा में प्रकाश में आए अथवा पूर्व वर्षों में प्रकाश में आए, परन्तु विगत प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं हो सके; वे प्रकरण जो 2012-13 के बाद के हैं आवश्यकतानुसार प्रतिवेदन में शामिल किये गये हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संपन्न किया गया है।